रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड—(ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 107] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 8, 1971/माघ 19, 1892

[No. 107] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 8, 1971/MAGHA 19, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

### NOTIFICATION

*New Delhi, the 5th February* 1971

**S.O. 674.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby directs that the following further amendment shall be made in its Notification No. 434/RJ/66, dated the 11th August, 1966, namely:—

In column 3 of the Table appended to the said notification for the existing entry '3. Assistant Collector and Magistrate, 1st Class, Alwar' against item '7-Alwar', the entry "3. Settlement Officer, Alwar" shall be substituted.

[No. 434/RJ/70.]

By Order,

A. N. SEN, Secy.

## भारत निर्वाचन आयोग

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 1971

**एस० ओ० 674.**—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा निदेश देता है कि उसकी अधिसूचना संख्या 434/राज०/66, तारीख 11 अगस्त, 1966 में और आगे निम्नलिखित संशोधन किया जाएगा अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी के स्तम्भ 3 में,—

मद "7. अलवर" के सामने विद्यमान् प्रविष्टि "3. सहायक कलक्टर और मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, अलवर" के स्थान पर प्रविष्टि "3. बन्दोबस्त अधिकारी, अलवर" प्रतिस्थापित की जाएगी ।

[संख्या 434/राज०/70]

आदेश से,

ए० एन० सेन, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971